न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कानपुर–देहात।

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–473/2026

CNR No.UPRN01–001036–2026

शानू उम्र लगभगवर्ष पुत्र सुनील, निवासी ग्राम कमलपुर, थाना राजपुर , जिला कानपुर देहात ।

...आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र० राज्य ... विपक्षी

मु०अ०सं०–120/2022

धारा–307,323,34,354B,504,506 भा०दं०सं०

थाना– राजपुर, जिला कानपुर देहात ।

आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त शानू की ओर से द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–482 बी०एन०एस०एस० के तहत मु०अ०सं०–120/2022,धारा– 307,323,34,354B,504, 506 भा० दं० सं०, थाना– राजपुर, जिला कानपुर देहात के मामलें में प्रस्तुत किया गया है ।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मुलायम सिंह की ओर से एक लिखित तहरीर थाना राजपुर जिला कानपुर देहात में इस आशय की दी गयी है कि दिनांक–05–09–2022 समय दोपहर 1.00 बजे वादी के खेत पर राजकुमारी जानवरों के लिए चारा काट रही थी , तभी गांव के कैलाश , शानू, गौरव, हर्षित, पुष्पा उर्फ कुन्नी, बिट्टो तथा सीपू पुरानी रंजिश के चलते पुष्पा व बिट्टो के कहने पर उपरोक्त व्यक्तियों ने एक राय होकर वादी की पत्नी राज कुमारी पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया, जिससे वादी की पत्नी गम्भीर रूप से घायल हो गयी । वादी मौके पर दो खेत आगे मौजूद था, वहीं से जब उपरोक्त व्यक्तियों को चिल्लाया तो उपरोक्त व्यक्ति मौके वारदार से गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये । उपरोक्त व्यक्तियों में से पप्पू के हाथ में बरछी, कैलाश के हाथ में फरसा, शानू के हाथ में कुल्हाडी, गौरव , हर्षित लाठी, सीपू के हाथ में लोहे की राड थी और इन्हीं हथियारों से वादी की पत्नी पर हमला कर रहे थे तथा उपरोक्त व्यक्तियों व महिलाओं ने वादी की पत्नी को अर्द्धनग्न भी कर दिया था ।

3. अग्रिम जमानत हेतु मुख्य रूप से आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के माध्यम से यह आधार लिया गया है कि आवेदक/ अभियुक्त निर्दोष है, उसने कथित अपराध कारित नहीं किया है। यह भी आधार लिया गया है कि उसे झूठा फँसाया गया है। सत्यता यह है कि उक्त लोगों के विरूद्ध जमीनी विवाद चल रहा है। उक्त की रंजिश को मानते हुये उक्त मुकदमा फर्जी व झूठा पंजीकृत कराया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। मामले में पुलिस आये दिन उसे परेशान कर रही है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। इसके पूर्व मामले में आरोप पत्र दाखिल करने तक माननीय उच्चतम न्यायालय से अग्रिम जमानत मिली हुई थी। अभियुक्त एल०एल०बी० का छात्र है, जिससे उसका भविष्य खराब करने की नियत से उसे फर्जी अभियुक्त बनाया गया है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। यह उसका द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन है। जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा न्यायालय के शर्तों का पालन करेगा। उसका जमानत आवेदन दिनांक–12.10.2023 को निरस्त किया जा चुका है।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया है तथा तर्क दिया गया है कि आवेदक व अन्य द्वारा वादी की पत्नी राजकुमारी के साथ लाठी, डण्डा, बरछी, फरसा, कुल्हाडी आदि से जान से मारने की नियत से मारपीट कर गम्भीर चोटे पहुंचायी गयी है। इस मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त शानू के विरूद्ध संबंधित न्यायालय से गैर जमानतीय वारण्ट एवं धारा–82

Digitally signed by RAVINDRA SINGH
Date: 2026.03.18 16:04:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दं०प्र०सं० की आदेशिका निर्गत की गयी है। अभियुक्त का एक मुकदमें का आपराधिक इतिहास है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है । अतः अग्रिम जमानत निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया ।

6. अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पत्नी राजकुमारी के साथ मारपीट कर गम्भीर एवं प्राणघातक चोटे पहुंचायी गयी है। राजकुमारी की आहत आख्या में कुल 14 चोटे उल्लिखित है , जिसमें अधिकांश चोटे फटे हुए घाव की शरीर के विभिन्न भागों पर दर्शायी गयी है। चोटे ताजी होना उल्लिखित है। डा० आशीष श्रीवास्तव द्वारा सप्लीमेंट्री रिपोर्ट में यह राय व्यक्त की गयी है कि चोटे गम्भीर प्रकृति की एवं प्राणघातक श्रेणी की है । चुटहल राजकुमारी ने विवेचक को दिये बयान में आवेदक/अभियुक्त के हाथ में कुल्हाड़ी होने तथा आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य अभियुक्तगण द्वारा उसके कपड़े फाड़ कर जमीन पर गिरा कर उसे कथित चोटे पहुँचाये जाने का कथन किया गया है। प्राण घातक चोटे पाये जाने के आधार पर मामले में विवेचक के द्वारा धारा–307 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी। विवेचनोपरान्त इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा संबंधित अवर न्यायालय से अभियुक्त की उपस्थिति हेतु गैर जमानतीय वारण्ट एवं धारा–82 दं०प्र०सं० की आदेशिका निर्गत की गयी है। मामले में यह भी स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन अन्तर्गत धारा–482 सं०–4431/2025, पुष्पा उर्फ कुन्नी एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी० एवं अन्य, इस मामले से संबंधित कार्यवाही को Quash किये जाने हेतु योजित की गयी थी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक–30.01.2026 से निरस्त कर अपीलांटस् को संबंधित न्यायालय में 15 दिवस में बेल दाखिल करने हेतु निर्देशित किया गया। जबकि आवेदक/अभियुक्त के द्वारा यह द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् इस न्यायालय में दिनांक–21.02.2026 को दाखिल किया गया है। मामले में अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का अ०सं०–123/2021, धारा–352,504,506 भा०दं०सं० से संबंधित एक आपराधिक इतिहास होना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इस स्तर पर आवेदक/ अभियुक्त को प्रश्नगत आपराधिक घटनाक्रम में मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है। आवेदक/ अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवम् बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवम् विचारण का विषय है।

7– सम्पूर्ण तथ्यो, परिस्थितियों एवम् अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/ अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का कोई ठोस आधार विद्यमान नहीं है।

8– निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–18.03.2026

(रविन्द्र सिंह)
सत्र न्यायाधीश
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
J.O. Code–UP02003